

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्र./शि.क./संवि./बी/139/2010/208

भोपाल, दिनांक 3-5-11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ. डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1 पार र पा रि क 2	श्री प्रभानंद पटेल वरि.अ. (रसायन) शा.बा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर जिला सतना	AV8110	231301094 13	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.1849दि 05.10.10	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.2968दि 3.11.10 शा.उ.मा.वि. मौहरिया	231408777 12
	श्री रामानुज पाठक वरि.अ. (रसायन) शा.उ.मा.वि. मौहरिया जिला रीवा	AW9565	231408777 12	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.2968दि 3.10.10	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.1849दि 5.10.10 शा.बा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर	231301094 13
3	श्रीमती पूर्णिमा नागपुरे वरि. अ. (जीवविज्ञान) शा.क.उ.मा.वि. बैहर जिला बालाघाट	AC8722	234509999 06	नगर पंचायत बैहर जिला बालाघाट जा.क्र.36दि 19.04.10	जिला पंचायत भोपाल जिला भोपाल जा.क्र.4128दि. 15.9.10 शा.उ.मा.वि. रातीबड	233202777 02
4	कु. प्रियंका चौहान वरि. अ. (वाणिज्य) शा.क.उ.मा.वि. खाचरौद जिला उज्जैन	BE1553	232104777 02	नगरपालिका परिषद खाचरौद जिला उज्जैन जा.क्र.1988दि. 28.9.10	नगर पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क्र.2271दि 13.9.10 शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. मनासा	231805777 02
5	श्री प्रकाश गंगराडे (नि:शक्त) वरि.अ. (हिन्दी) शा.नं.चौ.उ.मा.वि. बदनवार जिला धार	BN3645	232501777 04	नगर पंचायत बनदवार जिला धार जा.क्र.969दि. 01.06.10	जिला पंचायत खण्डवा जिला खण्डवा जा.क्र.7815दि 19.08.10 शा.उ.मा.वि. जावर	232999777 02
6	श्रीमती संध्या कोल्हेकर वरि.अ. (अर्थशास्त्र) शा.उ.मा.वि. अमरवाह जिला सीधी	BC4192	231706777 14	जिला पंचायत सीधी जिला सीधी जा.क्र.7063दि 04.08.10	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.4909दि 30.08.10 शा.उ.ना.वि. पिपरियाकला	233906777 05

7	श्रीमती अनुराधा गुप्ता वरि.अ. (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. टर्काकला जिला श्योपुर	BA7729	230108777 03	जिला पंचायत श्योपुर जिला श्योपुर जा.क्र.1976दि 04.06.10	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र.6436दि 10.11.10 शा.उ.मा.वि. पडरिया कुण्डम	233908777 06
---	---	--------	-----------------	---	---	-----------------

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

3.5.11

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 3-5-11


पृष्ठा.क्र./शि.क./बी/संवि./139/2010/209

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।

अ.स.

6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
म)

